भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1930

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों और सुविधाओं का रखरखाव

†1930. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के समय पर और उचित रख-रखाव के साथ-साथ जलपान की दुकान/कैंटीन, उचित पार्किंग स्थल और सड़क/कार उपयोगकर्ताओं के लिए विश्राम कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण कई यात्रियों को पथकर का भुगतान करने के बावजूद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क का उचित रखरखाव करने की शर्त का उल्लंघन करने के लिए संविदा कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रखरखाव कार्य पूरा होने तक कोई टोल वसूला नहीं जाए और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार/सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रखरखाव का संबंध है, यह एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित रियायत करार/संविदा करार में निर्धारित रखरखाव अपेक्षाओं के अनुसार रियायत अवधि के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में रियायतकर्ताओं के माध्यम से और दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान इंजीनियरिंग प्रापण अनुबंध (ईपीसी) परियोजनाओं में संविदाकारों के माध्यम से किया जाता है। उन एनएच खंडों के लिए, जहां रियायत अवधि/डीएलपी समाप्त हो गई है, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। जबकि एसटीएमसी कार्य

आम तौर पर 1-2 साल की संविदा अवधि के लिए किए जाते हैं, पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 साल की लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं।

सड़क प्रयोक्ताओं को शौचालय, पार्किंग, भोजनालय, अल्पावधि आवास व्यवस्था, ईंधन स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पेयजल आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अभी तक, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर 102 मार्गस्थ सुविधाओं का विकास और संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), जो एनएचएआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, के माध्यम से किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा सुविधाओं को शामिल करने के लिए हमसफ़र नीति भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का मानकीकरण करके सेवाओं में सुधार करना है। यह नीति एनएचएलएमएल द्वारा विकसित की जा रही मार्गस्थ सुविधाओं का पूरक होगी।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के अनुरक्षण से संबंधित शिकायतों को उनके निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजा जाता है। शिकायत में बताई गई कमियों को संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार एजेंसी (रियायतग्राही/संविदाकार) के माध्यम से ठीक किया जाता है।

(ग) यदि संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए उत्तरदायी रियायतग्राही/ संविदाकार, रियायत/ संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार उक्त खंड का रखरखाव, समयसीमा के अंदर पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसे रियायतग्राही/संविदाकार के विरुद्ध रखरखाव दायित्वों को पूरा करने में हुई देरी के प्रत्येक दिन के लिए हर्जाना वसूलने सहित उचित कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, संचालन तथा रखरखाव की निगरानी हेतु संबंधित राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं को भी परामर्शी अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्य में कमी के लिए दंडित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किसी भी खंड पर टोल लगाने का कार्य, एनएच के उक्त खंड के पूरा होने पर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित टोल अधिसूचना में उल्लिखित दरों (संशोधन सहित) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के साथ शुरू किया जाता है।

(घ) रखरखाव कार्यकलापों का प्रभावी और समय पर प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, सभी कार्यान्वयन एजेंसियां पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं और क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण और परीक्षण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, सड़कों की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनों (एनएसवी) के माध्यम से आवधिक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों/परीक्षणों के

परिणामों के आधार पर, संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित संविदाकारों /रियायतग्राहियों के माध्यम से क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर रखरखाव गतिविधियों की निगरानी के लिए एनएचएआई वन ऐप का भी उपयोग कर रहा है। संविदा करार के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन त्रुटियों के निवारण के लिए संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी भी इस ऐप के माध्यम से की जा रही है।

*****